

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

15 SEP 2017

क्रमांक :- 4/10/20/आयु/2015

- आदेश -

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2016 के द्वारा पिछप्ति सख्या 4/2013 के अन्तर्गत 17 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाकर उन्हें पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक 30.06.2016 तक करने के निर्देश दिये गये थे। निदेशक आयुर्वेद विभाग के पत्रांक 16744 दिनांक 13.09.2017 की सूचना के अनुसार निम्न आयुर्वेद चिकित्साधिकारी न आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किये जान के फलस्वरूप निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | नाम आशादी | पिता का नाम | जन्म तिथि | लिंग | सर्वग | अंक | पदस्थापन स्थान |
|---------|-----------------|-----------------|------------|------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | अशोक कुमार जोशी | दुर्गाशंकर जोशी | 20.10.1966 | Male | Gen | 62.68 | राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, सिराही |

आज्ञा से
50/—
(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग।
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करावे।
7. कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
8. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी माफत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

50/—
(फूल चन्द मीणा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांकप.1/प्रति1/चिकि./वि.सं.4/13/2016/16935-38

दिनांक 15.9.17

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिराही
3. श्री अशोक कुमार जोशी पुत्र श्री दुर्गाशंकर जोशी द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिराही।
4. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय बैबसाइट पर अवलोड करावे तथा राज्य सरकार को जरिये मेल भिजवावे।
5. सामान्य-पत्रावली।

50/—
(स्नेहलता पंवार)
निदेशक